बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक-2/वि0स0(आश्वासन)-33/2012 परि0 2476

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक 13/6/2012

विषय : 31 मार्च 2008 तक लागू सर्वक्षमा योजना का प्रतिफल प्रतिवेदन भेजने के संबंध में ।

महोदय,

आप अवगत है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-5568 दिनांक 11.12.2007 द्वारा कृषि कार्य में प्रयुक्त कर प्रमादी अथवा अनिबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर को टैक्स नेट में लाने एवं एक मुश्त कर राशि प्राप्त कर कर-प्रतीक निर्गत करने हेतु ''सर्वक्षमा योजना' (Amnesty) दिनांक 31.03.2008 तक विस्तारित की गयी थी । अत: विस्तारित अवधि में उक्त योजनान्तर्गत निबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर की संख्या एवं बकाया कर के एक मुश्त भुगतान से प्राप्त राशि से संबंधित प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित की जाय ।

माननीय स0 वि स0, श्री दुर्गा प्रसाद सिंह एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना के आलोक में उद्भूत आश्वासन संख्या-614/12 के अनुपालन में उक्त योजना की समीक्षा किया जाना है ।

अत: 31 मार्च 2008 तक जो कृषक उक्त योजना का लाभ नहीं उठा सके है, वैसे ट्रैक्टर-ट्रेलर की संख्या एवं उसमें सन्निहित राशि का व्योरा अविलंब प्रेषित किया जाय ताकि इस मामले को समीक्षा की जा सके ।

यह आश्वासन दिया गया है कि जब तक उक्त योजना की समीक्षा नहीं होती है तब तक 2008 के पूर्व के वैसे जो भी बकायेदार है उनको परेशान न किया जाय ।

अत: अनुरोध है कि दिनांक 31.12.2008 तक के बकायेदारों की विवरणी सन्निहित राशि के साथ उपलब्ध करायी जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0/- 13/6/12

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

E:\Rai Sir doc-689